भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2197
सोमवार, 05 अगस्त, 2024/14 श्रावण, 1946 (शक)

खनन मजदूरों का कल्याण

2197. श्री करण भूषण सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खदानों में कार्यरत मजदूरों के लिए कल्याणकारी उपाय करने के लिए कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने खनन में प्रभावित लोगों के लिए स्थानीय स्तर पर विशेष कल्याण कोष स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं; और
(घ) यदि हां, तो कार्यसूची ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख): खान अधिनियम, 1952 और खान नियमावली, 1955 के अंतर्गत खानों में नियोजित कामगारों हेतु कल्याणकारी उपाय उपलब्ध कराए गए हैं जिन्हें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) द्वारा संचालित किया जाता है। इन कल्याणकारी उपायों में नियमित स्वास्थ्य जांच, प्राथमिक उपचार, समुचित आश्रय, कैंटीन, पेयजल, कार्यस्थलों पर स्वच्छता, और उन खानों में जहां 500 से अधिक कामगार कार्यरत हैं, में कल्याणकारी अधिकारी की नियुक्ति इत्यादि शामिल हैं। खान शिशुगृह नियमावली, 1966 के अंतर्गत शिशु गृह के प्रावधान भी किए गए हैं।

(ग) और (घ): खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9ख में राज्य सरकार को खनन से संबंधित प्रचालनों से प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण और लाभ हेतु कार्य करने के लिए जिला खनिज फाउंडेशन स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया जाना है।

*****